भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: *16

02 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

पैलियेटिव केयर (प्रशामक परिचर्या) सेवाएं

***16. श्री बी. पार्थसारधी रेड्डीः**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में प्रशामक परिचर्या सेवाएं प्रदान करने वाली सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रशामक परिचर्या प्राप्त करने वाले रोगियों की राज्य-वार संख्या कितनी-कितनी है;

(ग) क्या प्राथमिक प्रशामक परिचर्या प्रशिक्षण को चिकित्सा शिक्षा में शामिल किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का समुदाय आधारित या गृह-आधारित मॉडलों के माध्यम से प्रशामक परिचर्या सुविधाओं का विस्तार करने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

02 दिसंबर, 2025 के लिए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं.16 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर देश भर में राष्ट्रीय प्रशामक परिचर्या कार्यक्रम (एनपीपीसी) के अंतर्गत उपलब्ध प्रशामक परिचर्या सेवाओं का विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 तक एनपीपीसी के अंतर्गत बहिरंग, अंतरंग और गृह-आधारित उपशामक परिचर्या सेवाओं का राज्यवार विवरण अनुलग्नक-II में है। एनपीपीसी के अंतर्गत उपलब्ध सेवाओं के अलावा, एम्स, मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में भी उपशामक परिचर्या उपलब्ध है।

भारत में स्नातक चिकित्सा शिक्षा (एमबीबीएस) पाठ्यक्रम में बुनियादी उपशामक परिचर्या प्रशिक्षण को अनिवार्य घटक के रूप में शामिल किया गया है। यह परिवर्तन राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के योग्यता-आधारित चिकित्सा शिक्षा (सीबीएमई) पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में किया गया है, जो अगस्त 2019 से प्रभावी हो गया है।

2010 में तत्कालीन भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) द्वारा उपशामक परिचर्या को एक चिकित्सा उप-विशेषज्ञता के रूप में मान्यता दी गई थी। उपशामक चिकित्सा (एमडी उपशामक चिकित्सा) में विशेषज्ञ प्रशिक्षण राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में तीन वर्षीय पर्यवेक्षित स्नातकोत्तर कार्यक्रम के रूप में प्रदान किया जाता है।

इसके अलावा, भारतीय नर्सिंग परिषद (आईएनसी) ने नर्सिंग छात्रों के बीच ज्ञान और संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम के चौथे सेमेस्टर (द्वितीय वर्ष) में उपशामक परिचर्या पर 20 घंटे का अनिवार्य मॉड्यूल शामिल किया है।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) स्तर पर प्रदान की जाने वाली 12 आवश्यक सेवाओं में से एक उपशामक परिचर्या है, जिसमें निवारक, प्रोत्साहन, उपचारात्मक, पुनर्वास और उपशामक परिचर्या शामिल है। गृह-आधारित उपशामक परिचर्या एक टीम द्वारा प्रदान की जाती है जिसमें डॉक्टर, नर्स, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रशिक्षित स्वयंसेवक शामिल हो सकते हैं, जो शारीरिक लक्षणों और मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करते हैं। आशा (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कर्मी) और सामुदायिक स्वयंसेवकों को समुदाय में बिस्तर ग्रस्त रोगियों और प्रशामक परिचर्या की आवश्यकता वाले अन्य लोगों की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। वे समय-समय पर घर-घर दौरा करते हैं, रोगियों और परिवारों को सहायता प्रदान करते हैं और उचित रेफरल की सुविधा प्रदान करके परिचर्या की निरंतरता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। एएएम में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) परिचर्या की निगरानी करते हैं और नियमित चिकित्सा देखभाल, दर्द प्रबंधन और भावनात्मक सहयोग प्रदान करते हैं।

(अनुलग्नक I)

राष्ट्रीय प्रशामक परिचर्या कार्यक्रम (एनपीपीसी) के तहत आने वाले जिले

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अक्टूबर 2025 तक संचालित कुल ज़िलों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार	3
2	आंध्र प्रदेश	23
3	अरुणाचल प्रदेश	26
4	असम	35
5	बिहार	6
6	चंडीगढ़	1
7	छत्तीसगढ़	14
8	दिल्ली	1
9	दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव	3
10	गोवा	2
11	गुजरात	41 (33 जिले और 8 नगर निगम)
12	हरियाणा	18
13	हिमाचल प्रदेश	12
14	झारखंड	18
15	कर्नाटक	31
16	केरल	14
17	लद्दाख	2
18	लक्षद्वीप	1
19	मध्य प्रदेश	51
20	महाराष्ट्र	34
21	मणिपुर	16
22	मेघालय	11
23	मिजोरम	9
24	नागालैंड	3
25	ओडिशा	30
26	पुदुचेरी	0
27	पंजाब	4
28	राजस्थान	42
29	सिक्किम	4
30	तमिलनाडु	38
31	तेलंगाना	34
32	त्रिपुरा	8
33	जम्मू और कश्मीर	1
34	उत्तर प्रदेश	23
35	उत्तराखंड	13
36	पश्चिम बंगाल	27 + 1 (कोलकाता नगर निगम)
कुल	600	

(अनुलग्नक II)

वित्त वर्ष **2023-24** से वित्त वर्ष **2025-26** तक राज्यवार बहिरंग, अंतरंग और गृह आधारित परिचर्या सेवाएं

वर्ष **2023-24**

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बहिरंग सेवाओं का लाभ उठाने वाले मरीजों की संख्या	गृह आधारित मरीजों की संख्या	अंतरंग सेवाओं का लाभ उठाने वाले मरीजों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1784	1373	78
2	आंध्र प्रदेश	350018	178652	17115
3	अरुणाचल प्रदेश	1730	818	350
4	असम	29151	9353	4363
5	बिहार	475309	27556	18329
6	चंडीगढ़	2117	32	5
7	छत्तीसगढ़	153278	35821	14407
8	दिल्ली	107796	0	3167
9	गोवा	1503	1080	324
10	गुजरात	106601	65554	18965
11	हरियाणा	31781	16415	3199
12	हिमाचल प्रदेश	8443	687	51073
13	जम्मू और कश्मीर	44076	4751	5911
14	झारखंड	11818	3373	2075
15	कर्नाटक	146001	17322	39454
16	केरल	1037809	587916	30221
17	लद्दाख	3292	1754	1666
18	लक्षद्वीप	433	242	53
19	मध्य प्रदेश	151209	86560	74714
20	महाराष्ट्र	312160	198361	30843
21	मणिपुर	2658	3240	199
22	मेघालय	8307	2003	2205
23	मिजोरम	3301	1998	491
24	नागालैंड	2701	1838	340
25	ओडिशा	126355	47335	10013
26	पुदुचेरी	7940	2416	423
27	पंजाब	34270	3433	3737
28	राजस्थान	44201	1418	6832
29	सिक्किम	3692	3270	99
30	तमिलनाडु	372276	242417	34617
31	तेलंगाना	78946	34586	25172
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	877	1521	16
33	त्रिपुरा	10793	16968	1082
34	उत्तराखंड	6780	3071	2394
35	उत्तर प्रदेश	122994	23980	20831
36	पश्चिम बंगाल	236020	123720	51718
	अखिल भारत	4038420	1750834	476481

वर्ष **2024-25**

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बहिरंग सेवाओं का लाभ उठाने वाले मरीजों की संख्या	गृह आधारित मरीजों की संख्या	अंतरंग सेवाओं का लाभ उठाने वाले मरीजों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2871	2246	189
2	आंध्र प्रदेश	545312	266675	20483
3	अरुणाचल प्रदेश	4433	899	1617
4	असम	87836	19545	6812
5	बिहार	573318	37381	4693
6	चंडीगढ़	2410	296	161
7	छत्तीसगढ़	252778	46731	15087
8	दिल्ली	35336	82	4112
9	गोवा	2728	1096	214
10	गुजरात	270459	73855	21996
11	हरियाणा	45316	15801	4515
12	हिमाचल प्रदेश	3281	1552	6298
13	जम्मू और कश्मीर	45786	6947	7355
14	झारखंड	23195	5379	2091
15	कर्नाटक	290681	56009	50985
16	केरल	1347566	977879	43939
17	लद्दाख	3289	2357	1025
18	लक्षद्वीप	923	386	136
19	मध्य प्रदेश	217403	89897	40532
20	महाराष्ट्र	539427	280553	68105
21	मणिपुर	5790	7744	592
22	मेघालय	8743	4049	3415
23	मिजोरम	7358	7473	475
24	नागालैंड	3621	2658	300
25	ओडिशा	223056	71370	37737
26	पुदुचेरी	12341	2039	193
27	पंजाब	19997	5095	2701
28	राजस्थान	71905	3143	9564
29	सिक्किम	4596	4598	164
30	तमिलनाडु	521641	258766	31583
31	तेलंगाना	152799	53322	22369
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1731	3113	311
33	त्रिपुरा	16424	19763	1444
34	उत्तराखंड	8108	2444	2535
35	उत्तर प्रदेश	368834	33832	35477
36	पश्चिम बंगाल	360777	152688	100851
	अखिल भारत	6082069	2517663	550056

वर्ष **2025-26 (**अक्टूबर 20**25** तक**)**

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बहिरंग सेवाओं का लाभ उठाने वाले मरीजों की संख्या	गृह आधारित मरीजों की संख्या	अंतरंग सेवाओं का लाभ उठाने वाले मरीजों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	376	1886	195
2	आंध्र प्रदेश	86721	135773	18491
3	अरुणाचल प्रदेश	130	629	1649
4	असम	8672	18536	4316
5	बिहार	45871	52032	1633
6	चंडीगढ़	575	818	69
7	छत्तीसगढ़	66461	32481	7315
8	दिल्ली	7475	35	3111
9	गोवा	248	1207	157
10	गुजरात	155269	71770	19366
11	हरियाणा	41727	18355	3064
12	हिमाचल प्रदेश	403	2569	1987
13	जम्मू और कश्मीर	4440	5247	12083
14	झारखंड	49337	10165	1758
15	कर्नाटक	102776	148068	19896
16	केरल	67268	650545	32358
17	लद्दाख	234	1286	1021
18	लक्षद्वीप	106	110	96
19	मध्य प्रदेश	102342	56862	21070
20	महाराष्ट्र	154710	167933	37338
21	मणिपुर	2736	9283	396
22	मेघालय	1826	3657	1767
23	मिजोरम	633	5934	724
24	नागालैंड	188	1910	524
25	ओडिशा	8005	59608	12606
26	पुदुचेरी	157	1910	139
27	पंजाब	9420	31887	6025
28	राजस्थान	7404	14180	5611
29	सिक्किम	336	3452	153
30	तमिलनाडु	33723	162148	19906
31	तेलंगाना	50874	31292	10873
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	261	2017	121
33	त्रिपुरा	2716	14875	514
34	उत्तराखंड	3385	3864	1208
35	उत्तर प्रदेश	227801	42499	19444
36	पश्चिम बंगाल	18696	150415	69980
	अखिल भारत	1263302	1915238	336964
